रामकिशन बनाम सरकार
मुकदमा संख्या:—03 / 31 / 2025
निर्णय तिथि:—18.08.2025

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ़(अलवर)
(पीठासीन अधिकारी सुश्री रीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 03 / 31 / 2025 ऑन लाईन नम्बर 2025 / 168 प्रवेश तिथि:—20.06.2025

1. रामकिशन पुत्र भूरा उर्फ भौरा जाति माली आयु करीब 70 साल निवासी मन्दिर वाला वास ग्राम सकट तहसील जिला अलवर राजस्थान। .... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री श्रवण मीना एड0 प्रार्थी

—:निर्णय:— दिनांक 18 / 08 / 2024

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बावत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता संख्या 1046 खसरा नम्बर 1873 / 1 / 0.1200, 1881 / 1 / 0.0400, 976 / 1 / 0.1000 खाता संख्या 104 खसरा संख्या 1886 / 0.0100 खाता संख्या 1082 खसरा संख्या 1733 / 0.0100 है0 वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सूसाराम पुत्र श्री भूरा जाति माली दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का सही नाम रामकिशन पुत्र भूरा उर्फ भौरा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ जिला अलवर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ जिला अलवर के पत्रांक क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 1413 दिनांक 11.07.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जोकि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र श्री भूरा उर्फ भौरा की जगह सहवन से सुसाराम पुत्र श्री भूरा दर्ज कर रखा है। तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार रामकिशन पुत्र भूरा उर्फ भौरा व सूसाराम पुत्र भूरा उर्फ भौरा एक ही व्यक्ति है। गलत नाम के स्थान पर प्रार्थी नाम रामकिशन पुत्र भूरा उर्फ भौरा जाति माली दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की प्रार्थी की हाल हाल आराजी खाता संख्या 1046 खसरा नम्बर 1873 / 1 / 0.1200, 1881 / 1 / 0.0400, 976 / 1 / 0.1000 खाता संख्या 104 खसरा संख्या 1886 / 0.0100 खाता संख्या 1082 खसरा संख्या 1733 / 0.0100 है0 वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

रामकिशन बनाम सरकार
मुकदमा संख्या:—03 / 31 / 2025
निर्णय तिथि:—18.08.2025

कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र भूरा उर्फ भौरा जाति माली की जगह सहवन से सूसाराम पुत्र भूरा दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का सही नाम रामकिशन पुत्र भूरा उर्फ भौरा जाति माली दुरूस्त कि[illegible] जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड संख्या 427660924684, राशन कार्ड 007337000890, जन आधार कार्ड 4616603013, पैन कार्ड संख्या LUCPS8015C, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र GHX/1015494, राजस्थान सरकार चिरंजीवी कार्ड संख्या 4616603013, बैंक आफ बडोदा खाता संख्या 57370100001248 आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 हाल आराजी खाता संख्या 1046 खसरा नम्बर 1873/1/0.1200, 1881/1/0.0400, 976/1/0.1000 खाता संख्या 104 खसरा संख्या 1886/0.0100 खाता संख्या 1082 खसरा संख्या 1733/0.0100 है० वाके ग्राम संकट तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सूसाराम पुत्र भूरा जाति माली दर्ज है उसके स्थान पर रामकिशन उर्फ सूसाराम पुत्र भूरा उर्फ भौरा जाति माली दुरुस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर